न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर
प्रथम लिंक अधिकारी
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

223RTA2025-641Ju2025-316 Bhanwarsingh Vs Lrs of Shambhusingh etc

भंवरसिंह पुत्र कोजुसिंह जाति राजपूत, निवासी गोलिया तहसील सिवाना जिला बालोतरा राज.।

अपीलाण्ट...

ब
ना
म

1. स्व. शम्भुसिंह पुत्र कोजुसिंह के वारिसानः—
   1.1. भाकरसिंह पुत्र शम्भुसिंह जाति राजपूत
2. स्व. शैतानसिंह पुत्र कोजुसिंह के वारिसानः—
   2.1. बाबुसिंह पुत्र श्री शैतानसिंह
   2.2. मोहनकंवर पत्नी श्री शैतानसिंह
3. दीपसिंह पुत्र कोजुसिंह जाति राजपूत
4. आम्बसिंह पुत्र कोजुसिंह जाति राजपूत
5. माफसिंह पुत्र कोजुसिंह जाति राजपूत
   निवासीगण गोलिया तहसील सिवाना जिला बालोतरा राज.।
6. बलवन्ता पुत्र मुकना जाति दरोगा फोत के कायम मुकाम :—
   6.1. देशकंवर पुत्री बलवन्ता
   6.2. रिडमलसिंह पुत्र बलवन्ता
   6.3. भीखीदेवी पुत्री बलवन्ता
   6.4. मोहनकंवर पत्नी बलवन्ता
   6.5. धापू पुत्री बलवन्ता
   6.6. लीलादेवी पुत्री बलवन्ता
   6.7. विक्रमसिंह पुत्र बलवन्ता
   6.8. सन्तु पुत्री बलवन्ता
7. मूला पुत्र मुकना जाति दरोगा
8. स्व. दला पुत्र मुकना के वारिसान
   8.1. भंवरलाल पुत्र दलाराम जाति दरोगा
   8.2. गौतम पुत्र दलाराम जाति दरोगा
   8.3. अणसीदेवी पत्नी दलाराम जाति दरोगा
   निवासीगण गोलिया तहसील सिवाना जिला बालोतरा राज.।
9. श्रीमान राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना।
10. महिपालसिंह पुत्र श्री चन्दनसिंह जाति राजपूत, निवासी गोलिया, तहसील सिवाना जिला बालोतरा।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर सिवाना दिनांक 13 अक्टूबर 2025 राजस्व वाद संख्या 65/2022 भंवरसिंह बनाम शम्भूसिंह के कायम मुकाम भाकरसिंह इत्यादि

———— 0 ————

उपस्थित—
श्री सुनील के. मेराजा, अधिवक्ता—अपीलाण्ट
श्री शैतानसिंह राठौड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 6/1 से 8/3 व 10

नि र्ण य

दिनांक : 23 अप्रैल 2026

अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 65/2022 भंवरसिंह बनाम शम्भूसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 13

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अक्टूबर 2025 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत 14 नवंबर 2025 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने विचारण न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजीयात मूल खसरा नंबर 35 रकबा 0.9995 हैक्टेयर(वर्तमान खसरा नंबर 42 रकबा 0.1608 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 95 रकबा 0.8352 हैक्टेयर) ग्राम गोलिया तहसील सिवाना के संबंध में वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजीयात पर वक्त सेटलमेंट से अपने पिता कोजूसिंह उर्ज कोजसिंह का कब्जा काश्त होने कथन करते हुए वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत कर घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 8/1 से 8/3 की ओर से आदेश 7 नियम 11 सीपीसी व आदेश 09 नियम 08, 09 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर वादी का वाद विधिबाधित होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये उक्त आवेदन को स्वीकार कर वादी का वाद खारिज कर दिया गया, जिसके विरूद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य निर्णय प्रकरण एवं पक्षकारान के मध्य उत्पन्न विवाधको बाबत् गुणावगुण पर विवेचन किये बिना ही प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी. सी. को स्वीकार करते हुए वाद पत्र को रेस–ज्युडीकेटा के आधार पर खारिज करने में नियमों स्थापित विधि सहित पत्रावली पर आए तथ्यों एवं वाद के पक्षकारान एवं अलग–अलग बिनाय दावा की अनदेखी करते हए खारिज किया गया है। विचारण न्यायालय में वाद के विचारण के दौरान एवं निर्णय से करीब तीन माह पूर्व प्रतिवादी बलवन्ता पुत्र मुकनाराम का देहान्त हो गया था एवं बलवन्ता के अधिवक्ता द्वारा उक्त तथ्य की सूचना अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की गई। विचारण न्यायालय द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध कोई निर्णय पारित किया गया है। कानूनन रेसजुडिकेटा को लागू करने के लिए यह प्रथम शर्त है कि पूर्व निर्णित प्रकरणो में पक्षकार समान होने चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में वादी भवरसिंह पूर्व के किसी निर्णित प्रकरण में पक्षकार नहीं था। ऐसी स्थिति में पूर्व में सक्षम न्यायालय द्वारा राजस्व वाद संख्या 80/2004 व 90/2011 में वादी/अपीलाण्ट पक्षकारान नहीं होने से इस प्रकरण में रेसजुडिकेटा का सिद्धान्त लागू नहीं होता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का यह मत रहा है कि किसी भी वाद को मात्र प्रक्रियात्मक दोष के आधार पर खारिज नहीं कर उसे गुणावगुण पर निस्तारित करना चाहिए। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टान्तों में यह अवधारित किया है न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर यथासंभव न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

को उस पर प्रतिवादीगण का जवाबदावा लिखकर विधि अनुसार विवाधक विचरित कर उस पर पक्षकारान के गवाह बयान एवं दस्तावेज का अवलोकन कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिए, ताकि पक्षकारान के मध्य उत्पन्न विवादों का अन्तिम निस्तारण हो सके एवं पक्षकारान के मध्य झगड़े समाप्त हो सके, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों की अनदेखी कर वादी/अपीलाण्ट के वाद को प्रारम्भिक स्तर पर ही गलत रूप से रेस–ज्युडीकेटा के आधार पर खारिज किया है। सिविल प्रकिया की धारा 11 रेस–ज्युडीकेटा/पूर्व न्याय से संबंधित है, जिसमें यह स्थापित विधि है कि कोई न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाधक का विचारण नहीं करेगा, जिसमें प्रत्यक्षत और सारत विवाद–विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते ळे, किसी पूर्ववर्ति वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षत और सारत विवाद रहा है जो ऐसे पश्चातवर्ति वाद का या उस वाद का, जिनमें ऐसा विवाधक वाद में उठाया गया है, विचारण करने के लिए सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अंतिम रूप से विनिश्चत किया जा चुका है। उक्त धारा को प्रभावी करने के लिए निम्न तथ्य आवश्यक है प्रथम– कोई भी सक्षम न्यायालय, द्वितीय किसी ऐसे वाद या विवाचक, तृतीय जिनका उन्हीं पक्षकारों के मध्य, चतुर्थ अंतिम रूप से निस्तारण किया जा चुका है तो वाद रेस–ज्युडीकेटा / पूर्व न्याय से रोका जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में धारा 11 के उक्त निर्बन्धताओं की पूर्ति नहीं होती है, क्योंकि प्रथमतः वादी/अपीलाण्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में कभी कोई वाद नहीं किया गया है और न ही किसी वाद में पक्षकार रहा, दूसरा वादी के पक्ष में वाद हेतुक वाद पत्र के पद संख्या 6 के अनुसार दिनांक 01.06.2022 को प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी से वादी को बेदखल करने की धमकी देकर इस हेतु प्रयासरत हुए तब उत्पन्न हुआ है, जिसका निस्तारण वादी अधीनस्थ न्यायालय से करवाना चाहता था, परन्तु न्यायालय ने जिन पूर्व वाद राजस्व वाद 90/2011 के आधार पर वादी के प्रस्तुत वाद को रेस–ज्युडीकेटा से पाबन्धित माना है, उस वाद में वादी पक्षकार नहीं था और वाद हेतु भी उस वाद का अलग था, साथ ही पूर्व वाद संख्या 90/2011 गुणावगुण पर निर्णित नहीं होकर आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी पर प्रारम्भिक अवस्था में खारिज किया गया था। ऐसी अवस्था में आलोच्य आदेश धारा 11 सी.पी.सी. के विधिक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए पारित किया गया है जिससे आलोच्य आदेश खारिज किये जाने योग्य है। पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शम्भूसिंह के द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद संख्या 90/2011 अनवान शम्भूसिंह बनाम दला ने जो विवाद बिन्दु थे वो अलग थे एवं प्रस्तुत वाद में जो विवाद बिन्दु है, वह अलग हैं। साथ ही दोनों का वादों का अनुतोष भी पूर्णत भिन्न है, क्योंकि पूर्व में वादी द्वारा कभी किसी भी न्यायालय में वादग्रस्त आराजी को अपनी खातेदारी की घोषित करने का वाद नहीं किया गया था और ना ही पूर्व वाद में पूर्व वादी शम्भूसिंह ने अनुतोष में वादग्रस्त आराजी को वादी की खातेदारी में घोषित करने का कोई अनुतोष चाहा। पूर्व वाद में एवं वादी/अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत वाद में वांछित अनुतोष पूर्णत

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

भिन्न–भिन्न प्रकृति का है। ऐसी स्थिति में यह स्थापित है कि वादी/अपीलाण्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी को अपनी खातेदारी में घोषित करने हेतु जो अनुतोष चाहा है एवं इस हेतु जो दस्तावेज एवं साक्ष्य पेश करना चाहा रहा है, उसके संबंध में पूर्व में कभी किसी न्यायालय में कोई वाद गुणावगुण पर अन्तिम रूप से निस्तारित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण में रेस ज्युडीकेटा के सिद्धान्त लागु नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत 1980 (3) एस.सी.सी. पेज संख्या 272 अनवान जम्मूकश्मीर राज्य बनाम सन्नाउल्लाह में यह अवधारित किया है कि जब किसी पूर्व वाद में मांगा गया अनुतोष और बाद में पेश किये गये वाद में मांगा गया अनुतोष अलग–अलग था तो ऐसी स्थिति में रेस–ज्युडीकेटा/पूर्व न्याय लागु नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय विधि एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है। यह उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त आराजी पर पूर्व में वादी के पिता कोजराजसिंह का वक्त सेटलमेंट व उसके पश्चात लगातार कब्जा था एवं वादग्रस्त आराजी कोजराजसिंह की जागीदारी भूमि थी, इसलिए वक्त सेटलमेंट भोकता के रूप में कोजराजसिंह का नाम राजस्व अधिकारियों ने अंकित किया है। साथ ही वादी द्वारा प्रस्तुत गिरदावरी सम्वत् 2033 व 2034 में विशेष टिप्पणी में भी कोजराजसिंह पुत्र हुकमसिंह खातेदारी में अंकन है व वादग्रस्त आराजी में नरसिंगा पुत्र देदा दरोगा जो कि कोजराजसिंह का हाळी था, का नाम भूलवश दर्ज किया गया है। नरसिंगा कुंवारा था और उसने कोई शादी नहीं की थी एवं उसका देहान्त भी वक्त सेटलमेंट पर हो गया था। ऐसी स्थिति में भोगता जागीदार के रूप में वादी के पिता कोजराजसिंह का ही कब्जा था एवं कोजराजसिंह के देहान्त के बाद वादी ही वादग्रस्त आराजी पर आजदिन तक काबिज है एवं इसी कारण वादग्रस्त आराजी का लगान भी कोजराजसिंह व वादी द्वारा अदा किया गया है। उक्त विवाधकों का अंतिम निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को उक्त वाद में प्रतिवादींगण से जवाबदावा तलब कर नियमानुसार विवाधक कायम कर बाद साक्ष्य गुणावगुण पर उक्त प्रकरण का निर्णय करना था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए आलोच्य निर्णय पारित किया है जो विधि तथ्यों एवं नियमों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे तथा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13 अक्टूबर 2025 को निरस्त किया जावे एवं मामला विधिनुसार निस्तारित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता–रेस्पो. ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि रेस्पो. की खातेदारी की भूमि है तथा रेस्पो. वक्त सेटलमेंट से काबिज काश्त है। वादग्रस्त आराजीयात से संबंध में वादी द्वारा माननीय सहायक कलक्टर बालोतरा में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88,188 के तहत दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी

11.05.2004 को वाद पत्र दायर किया जो अनवान संख्या 80/2004 शम्भुसिंह बनाम बलवंता के नाम से दर्ज हुआ। उक्त वाद को माननीय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा दिनांक 11.05.2006 को गुणावगुण पर निर्णित किया गया। तत्पश्चात वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादी ने माननीय सहायक कलक्टर सिवाना में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 188 के तहत वाद दायर किया माननीय सहायक कलक्टर सिवाना में दिनांक 27.12.2011 को अनवान संख्या 90/2011 अनवान शम्भूसिंह बनाम दला दायर किया गया। उक्त वाद पत्र दिनांक 29.04.2013 को आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत खारिज किया गया। अपीलांट की ओर से वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रस्त ुत उक्त वाद रेस ज्यूटिकेडा से प्रभावित है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वादी का वाद विधिबाधित पाये जाने पर विधिसम्मत रूप से खारिज किया है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। वादी के वादपत्र के अवलोकन मुताबिक वादी द्वारा अपने वादपत्र में कथन किया किया गया है कि वादग्रस्त आराजीयात वक्त बंदोबस्त वादी के पिता कोजसिंह के खुदकाश्त जागीर में दर्ज थी तथा नरसिंगाराम पुत्र देदाराम दरोगा हाली के रूप में कार्य करता था। नरसिंगा के अविवाहित फौत होने पर प्रतिवादीगण द्वारा फौतेदगी नामांतरकरण अपने नाम स्वीकृत करवा लिया। वादी द्वारा अपने वाद में वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में पूर्व में प्रस्तुत वाद संख्या 80/2004 अनवान शम्भुसिंह बनाम बलवंता इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 11.05.2006 एवं राजस्व वाद संख्या 90/2011 अनवान शम्भूसिंह बनाम दला निर्णय दिनांक 27.12.2011 के आधार पर वादी के वाद को रेसज्यूडिकेटा/पूर्व न्याय से बाधित होना मानते हुए खारिज किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध पूर्व वाद के दस्तावेजों के अवलोकन से प्रकट होता हैं कि वादी/अपीलांट उक्त दोनो वादों में पक्षकार संयोजित नहीं है। वादी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण के वाद को वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत गुणावगुण पर निस्तारित किये जाने के बजाय प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर खारिज किया जाना पाया जाता है। विधि की मंशा है कि किसी भी मामले को तकनीकी आधार पर निस्तारित किये जाने के बजाय उसका गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों एवं विधि की मंशा के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वस्तुतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य पाये जाते से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 65/2022 भंवरसिंह बनाम शम्भूसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13 अक्टूबर 2025 अपास्त किये जाते है तथा मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वाद विचारण की प्रक्रिया की पालना करते हुए उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर मूल वाद का गुणावगुण पर विधिसम्मत निस्तारण करे।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर